

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मु0 न0 54 / 22 अन्तर्गत धारा 88,89,आर.टी एक्ट

हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज
मदनमोहन आदि बनाम राज0 सरकार

खुद हुकम

02.2023

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2075-2078 के खसरा नं 70/0.17 हैक्टेयर वाके ग्राम सरसैना तहसील वैर में प्रार्थी वादी का नाम बन्दू पुत्र रजनीकांत व कल्ली पुत्र रजनीकांत व ममता पत्नी रज्जन जाति ब्राह्मण निवाससी सरसैना तहसील वैर गलत दर्ज चला आ रहा है। तहसीलदार वैर की जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बन्दू के स्थान पर मदनमोहन पुत्र रजनीकांत व कल्ली के स्थान पर कुलदीप पुत्र रजनीकांत व ममता पत्नी रज्जन के स्थान पर ममता पत्नी रजनीकांत जाति ब्राह्मण निवासी सरसैना तहसील वैर नाम शुद्ध किये जाने की अभिशंसा व सहमति दी है। उक्तानुसार प्रार्थीगण का नाम शुद्ध किया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार वैर को लिखा जावे।



सदस्य
लोक अदालत
तालुका विधिक सेवा समिति
वैर (भरतपुर) राज.

Awad B. P. S.

अध्यक्ष
लोक अदालत
तालुका विधिक सेवा समिति
वैर (भरतपुर) राज